संख्या-101/2020/761/23-10-20-11(सेतु)/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांक 28 सितम्बर, 2020**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57 एवं अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद सीतापुर में विकास खण्ड गोदलामऊ के कुर्सी-लोहाराघाट पर गोमती नदी सेतु का निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-1063/नदी सेतु/लखनऊ क्षेत्र/बी0 एम0सी0/2019, दिनांक 23.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद सीतापुर में विकास खण्ड गोदलामऊ के कुर्सी-लोहाराघाट पर गोमती नदी सेतु का निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त सेतु की मूल स्वीकृति शासनादेश सं0-124/2016/2042/23-9-2016-58नाबार्ड(सेतु)/2016, दिनांक 16.12.2016 द्वारा रू0 1273.86 लाख की प्रदान की गयी हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, निम्नांकित विवरणानुसार लागत रू0 1406.88 लाख (रूपये चौदह करोड़ छः लाख अठासी हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान की जाती हैः- **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्रमसं0	जनपद/कार्य का विवरण	मूल स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत /पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4
1-	जनपद सीतापुर में विकास खण्ड गोदलामऊ के कुर्सी-लोहाराघाट पर गोमती नदी सेतु का निर्माण कार्य	1273.86	1406.88
	योग-	1273.86	1406.88

(1) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2/2528/ दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुपालन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय ।

क्रमशः

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा)अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-17(4)/75 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी ।

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7) प्रायोजना की लागत आंकलन में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। अतएव यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो ।

(8) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुपालन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय ।

(9) विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन किया जाय ।

(10) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

(11) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृ त है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) प्रश्नगत परियोजना की मूल स्वीकृत विषयक शासनादेश की शर्तो का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनावंटन की कार्यवाही विभागाध्यक्ष से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के उपरांत की जायेगी ।

(15) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(16) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/ 2020 दिनांक 07.04.2020 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा । वित्त नियंत्रक द्वारा कार्यदायी संस्था को 02-02 माह की आवश्कतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत धनराशि का

क्रमशः

http://sirsandesh.up.nic.in

उपयोग करने के उपरांत अगले दो माह के लिये उन्हें आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी ।

(17) प्रश्नगत परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में होने वाला व्यय वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत सी0सी0एल0 के अंतर्गत किया जायेगा ।

(18) विभागाध्यक्ष लो0नि0वि द्वारा भारत सरकार की कोविड-19 हेतु जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(19) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)-0421-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-14-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-8-1744/दस-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
उप सचिव।

संख्या-101/2020/761(1)/23-10-20-11(सेतु)/2020,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) मण्डलायुक्त, सीतापुर / जिलाधिकारी, लखनऊ ।
(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
(4) मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियंता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(7) राज्य योजना आयेाग अनुभाग-1/2/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in